

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का निवास (न्यायिक, राजकीय, व्यावसायिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 689 दिनांक 26/08/2020

प्राचीन कामकाज सोलंकी 9/0 श्री अपरलाल सोलंकी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P. No-16 में इस्तिा दरवाजे के बाहर

धारा 194 (2) (घ) के तहत आवासीय केन्द्रों का बासा, खाला शंभु

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- (जमा)

जारीये रसीद संख्या 7062/3034 3035

दिनांक 26/08/2020 को जमा करा दी है ।

26/08/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

कमलेश

9887246812